प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 12 दिसम्बर, 2022

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रिंकू उर्फ अरूण कुमार वर्मा पुत्र श्री बिन्द्रा प्रसाद, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-7419/प्रोवेशन-3/फार्म-ए/(एम-10.01.2022) दिनांक-09.03.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रिंकू उर्फ अरूण कुमार वर्मा पुत्र श्री बिन्द्रा प्रसाद, पिपरिया बाईपास, थाना-कोतवाली, जनपद-लखीमपुर खीरी का निवासी है। बन्दी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 26.02.2003 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बांका, तमंचें से गोली मारकर जितेन्द्र नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-999/2003 में भा0द0वि0 की धारा-302/149,148 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-05, लखीमपुर खीरी के आदेश दिनांक 30.03.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष विचाराधीन है। बन्दी द्वारा दिनांक 22.10.2020 तक 15 वर्ष, 06 माह, 22 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष, 08 माह, 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निदिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा हत्या जैसा जघन्यदुष्कृत्य किये जाने जो समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी के पूर्व आपराधिक कृत्य के दृष्टिगत पुन: अपराध करने की प्रबल सम्भावना होने, बन्दी जेल में सुरक्षित रहेगा तथा बाहर आने पर रंजिशन आपराधिक गतिविधियां बढ़ने, बन्दी के परिवार की आर्थिक सामाजिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 26.02.2003 को 02 सहअभियुक्त के साथ मिलकर बांका, तमंचे से गोली मारकर जितेन्द्र नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निदिष्ट 05 बिन्दुओ की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट लखीमपुर खीरी द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रिंकू उर्फ अरूण कुमार वर्मा पुत्र श्री बिन्द्रा प्रसाद को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रिंकू उर्फ अरूण कुमार वर्मा (बन्दी संख्या-17298) पुत्र श्री बिन्द्रा प्रसाद, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-171/2022/436(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री को सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, (स्वतंत्र प्रभार)कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री को सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-171/2022/436/22-2-2022-17(234)/2020

दिनांक 12 दिसम्बर, 2022 का संलग्नक

सरकार के आदेश

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रिंकू उर्फ अरूण कुमार वर्मा पुत्र श्री बिन्द्रा प्रसाद, पिपरिया बाईपास, थाना-कोतवाली, जनपद-लखीमपुर खीरी का निवासी है। बन्दी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 26.02.2003 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बांका, तमंचें से गोली मारकर जितेन्द्र नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-999/2003 में भा0द0वि0 की धारा-302/149,148 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-05, लखीमपुर खीरी के आदेश दिनांक 30.03.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष विचाराधीन है। बन्दी द्वारा दिनांक 22.10.2020 तक 15 वर्ष, 06 माह, 22 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष, 08 माह, 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निदिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा हत्या जैसा जघन्य दुष्कृत्य किये जाने जो समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी के पूर्व आपराधिक कृत्य के दृष्टिगत पुन: अपराध करने की प्रबल सम्भावना होने, बन्दी जेल में सुरक्षित रहेगा तथा बाहर आने पर रंजिशन आपराधिक गतिविधियां बढ़ने, बन्दी के परिवार की आर्थिक सामाजिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 26.02.2003 को 02 सहअभियुक्त के साथ मिलकर बांका, तमंचे से गोली मारकर जितेन्द्र नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निदिष्ट 05 बिन्दुओ की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट लखीमपुर खीरी द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रिंकू उर्फ अरूण कुमार वर्मा पुत्र श्री बिन्द्रा प्रसाद को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in